

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2024—भाद्र 15, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएँ

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम अभिभाव चौहान, (Abhibhav Chouhan) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मेरे पुत्र डेनी चौहान, (Danny Chouhan), निवासी –21, मालवीय मोहल्ला, मूसाखेड़ी, जिला इन्दौर म.प्र. के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा, लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(नितिन चौहान)

(Nitin Chouhan)

(G-1876)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कमलेश कुशवाह (Kamlesh Kushwah) पत्नी पातीराम है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरी पॉलिसी में मेरा पूर्व नाम मुन्नी देवी कुशवाह (Munni Devi Kushwaha) पत्नी पातीराम कुशवाह (Patiram Kushwaha) दर्ज है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में मुन्नीदेवी पत्नी पातीराम दर्ज है। मुन्नीदेवी/मुन्नी देवी/ मुन्नी देवी कुशवाह/ कमलेश/ कमलेश कुशवाह मुझ एक ही महिला के नाम हैं। अतः भविष्य

में मुझे कमलेश कुशवाह (Kamlesh Kushwah) पत्नी पातीराम के नाम से ही जाना पहचाना जावे एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(मुन्नीदेवी/मुन्नी देवी/मुन्नी देवी कुशवाह/कमलेश)	(कमलेश कुशवाह) (Kamlesh Kushwah)
	पत्नी पातीराम कुशवाह (Patiram Kushwah)
	निवासी—नाकाचन्द्रवदनी लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1877)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुन्नालाल घाघरे (Munnalal Ghaghre) आत्मज श्री फागु घाघरे निवासी – ताप्ती वार्ड नं. 01, गौशाला, मुलताई, जिला बैतूल, म.प्र. मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम भिवजी घाघरे (Bhivji Ghaghre) अंकित है एवं मेरे बच्चों की शैक्षणिक दस्तावेज एवं परिवार समग्र आई.डी., वोटर कार्ड इत्यादि में मेरा नाम मुन्नालाल घाघरे (Munnalal Ghaghre) अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही व्यक्ति के नाम हैं जो कि मैं स्वयं हूँ। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे परिवर्तित नाम मुन्नालाल घाघरे (Munnalal Ghaghre) पुत्र श्री फागु घाघरे के नाम से ही जाना पहचाना, पढ़ा, समझा, सुना, बोला एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(भिवजी घाघरे)	(मुन्नालाल घाघरे)
(Bhivji Ghaghre)	(Munnalal Ghaghre)
(G-1878)	पुत्र श्री फागु घाघरे।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रियंका त्यागी (Priyanka Tyagi) पत्नी श्री रीतेश कुमार त्यागी, निवासी – लसुडिया परिहार पोस्ट पचामा, जिला सीहोर, म.प्र. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नेहा त्यागी (Neha Tyagi) पत्नी श्री रीतेश कुमार त्यागी अंकित है, मेरी मार्कशिट में मेरा नाम प्रियंका शर्मा (Priyanka Sharma) पुत्री श्री बद्री प्रसाद शर्मा अंकित है जो कि मेरे विवाह पूर्व का नाम है। मेरे वोटर कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम प्रियंका त्यागी (Priyanka Tyagi) पत्नी श्री रीतेश कुमार त्यागी है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे परिवर्तित नाम प्रियंका त्यागी (Priyanka Tyagi) पत्नी श्री रीतेश कुमार त्यागी के नाम से ही जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं पुकारा जाये।

पुराना नाम	नया नाम
(नेहा त्यागी)	(प्रियंका त्यागी)
(Neha Tyagi)	(Priyanka Tyagi)
(G-1879)	पत्नी—श्री रीतेश कुमार त्यागी।

नाम परिवर्तन

सर्व सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि मैं, महेन्द्र सिंह, मेरे समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, में मेरा नाम महेन्द्र सिंह यादव है। दस्तावेजों में मेरा नाम महेन्द्र सिंह है, मैं, अपने नाम के साथ सरनेम यादव जोड़कर प्रकाशन उपरांत महेन्द्र सिंह यादव (MAHEN德拉 SINGH YADAV) के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम	नया नाम
(महेन्द्र सिंह)	(महेन्द्र सिंह यादव)
(G-1880)	पता—वृद्धावनधाम, गांधी वार्ड, बीना स्टेशन, बीना, जिला सागर।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स भावना मिनरल्स, वार्ड नं. 03, स्टेडियम के सामने, सिहोरा, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश की भागीदारी का गठन दिनांक ४ अप्रैल 2013 को भागीदार (1) श्री वीरेन्द्र कुमार मेहता वल्द स्व. श्री चरणदास ज्ञानचंद मेहता (2) श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी श्री हरी प्रकाश गुप्ता (3) श्रीमती सरिता सरावगी पत्नी श्री सुनील सरावगी के द्वारा गठन किया गया फर्म का रजिस्ट्रेशन दिनांक १९ फरवरी 2020 को फर्म के रजिस्ट्रार जबलपुर में मेसर्स भावना मिनरल्स रजिस्ट्रेशन क्रमांक ०४/१४/०२/०२५१/२० सन् २०१९–२०२० में हो गया तदुपरांत दिनांक २१ मार्च २०२४ को श्रीमती सरिता सरावगी पत्नी श्री सुनील सरावगी भागीदारी फर्म से विलग हो गई तथा फर्म का पुनः गठन दो नये भागीदार श्री मुकुल खम्परिया पिता श्री नित्यनिरंजन खम्परिया एवं श्रीमती स्वाती खम्परिया पत्नी श्री मुकुल खम्परिया के साथ पुनः गठन हो गया तदोपरांत दिनांक १ अप्रैल २०२४ को श्री वीरेन्द्र कुमार मेहता वल्द स्व. श्री चरणदास ज्ञानचंद मेहता एवं श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी श्री हरी प्रकाश गुप्ता फर्म से विलग हो गये तथा फर्म में श्री मुकुल खम्परिया एवं श्रीमती स्वाती खम्परिया भागीदार के रूप में रह गये।

मेसर्स भावना मिनरल्स
मुकुल खम्परिया
(भागीदार)

(G-1881)

PUBLIC NOTICE

(U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT 1932)

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Trisha Enterprises Registered office at 45 CB IDA Sch. No. 140, Pipliyahana Square opp IDA Water Tank, Indore (M.P.) and Registration No. is 03/27/01/0030/22, dated 10-5-2022, which was constituted vide Partnership deed executed on 1-3-2022.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 1-8-2022, Rinki Agrawal D/o. Shri Girdhari Rameshwar Garg have voluntarily retired from the Partnership firm and Shri Animesh Agrawal S/o Shri Tilok Chand Agrawal has joined the firm as a new partner.

Now all the running Partners have decided to change the principle place of firm from 45 CB IDA Sch. No. 140, Pipliyahana Square opp IDA Water Tank, Indore (M.P.) To Flat No. D-804, 8th Floor, High Rise Building, Anandvan Phase-2, Sch. No. 140, Indore (M.P.) W.e.f. 1-07-2023.

M/S. Trisha Enterprises

Ravi Kumar Garg
(Partner)

(G-1882)

CHANGE OF SURNAME

I hereby declare that, my correct surname is Dilip Gupta which is also written in most of my documents but in some of my documents (share certificate) my surname written Dilip Seth. Henceforth forever my surname shall be written and read as a Dilip Gupta.

Old Name

(Dilip Seth)

(G-1883)

New Name

(Dilip Gupta)

Ashok Nagar (M.P.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारा सही उपनाम मोहनलाल गुप्ता पिता श्री रामनारायण गुप्ता है, किन्तु हमारे कुछ पुराने दस्तावेजों में हमारा उपनाम मोहनलाल खण्डेलवाल पिता श्री रामनारायण खण्डेलवाल लिखा हुआ है। अतः हमारे जिस भी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में हमारा उपनाम खण्डेलवाल लिखा हुआ है, उन सभी दस्तावेजों में हमारा सही उपनाम मोहनलाल गुप्ता पिता श्री रामनारायण गुप्ता ही लिखा व पढ़ा जाए।

<p>पुराना नाम (मोहनलाल खण्डेलवाल)</p> <p>(G-1884)</p>	<p>नया नाम (मोहनलाल गुप्ता) पिता श्री रामनारायण गुप्ता बस स्टेंड, गंधवानी धार (म.प्र.).</p>
---	---

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स गुरु कृपा स्टोन क्रेशर नेशनल स्कूल आर्मी तिराहा के पास, बड़ा गांव, मुरार ग्वालियर (म.प्र.) 474006 स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0083/23, दिनांक 31 जुलाई 2023 है। जिसमें दिनांक 14 दिसंबर 2022 को भागीदार श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मन प्रसाद शर्मा, नि. 43, पी.जी. इन्कलावे नजदीक, सिल्वर ओक होटल, सिटी सेंटर, ग्वालियर स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं। एवं 1. भागीदार श्री सुरेश सिंह यादव पुत्र स्व. श्री भगवान सिंह यादव, नि. श्री कृष्णा कुंज, संत साई स्कूल, एम. एच. चौराहा, मुरार, ग्वालियर, 2. श्रीमती रीना यादव पत्नी श्री दीपक यादव, नि. वार्ड नं. 61, ग्राम बड़ागांव, ग्वालियर भागीदार स्वेच्छा से फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं।

<p>(G-1885)</p>	<p>मैसर्स गुरु कृपा स्टोन क्रेशर सुनील यादव (भागीदार) नेशनल स्कूल आर्मी तिराहा के पास, बड़ा गांव, मुरार ग्वालियर (म.प्र.).</p>
-----------------	--

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में तिरुपति एसोसियेट्स (M/S TIRUPATI ASSOCIATES) के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्र. 04/17/01/00442/12 दिनांक 3 मार्च 2012 है।

इस फर्म से दिनांक 31 अगस्त 2024 से एक भागीदार (1) श्रीमती उमा मिगलानी पति श्री बलदेव मिलगानी निवासी न्यू एक्टेशन एरिया नवभारत प्रेस के पास गांधी गंज छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 1 सितम्बर 2024 से तीन भागीदार (1) श्री आदित्य नाहर पिता श्री अशोक कुमार नाहर निवासी वार्ड नं. 04 डॉ. नवीन कुमार शर्मा के घर पर प्रोफेसर कॉलोनी ट्राइबल म्यूजियम के सामने छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (2) श्रीमती सृष्टि मिगलानी पति श्री शोभित मिगलानी निवासी श्रीराम विला सिनेचर लाईफस्टाइल ऑफिस जिम के पास छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (3) श्रीमती मेधा मिगलानी पति श्री सुनील मिगलानी निवासी श्रीराम विला सिनेचर लाईफस्टाइल ऑफिस जिम के पास छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 1 सितम्बर 2024 से संशोधन उपरांत पाँच साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस 20 पदम कॉम्प्लेक्स सिवनी रोड छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है।

<p>(G-1886)</p>	<p>M/s. Tirupati Associates शोभित मिगलानी (पार्टनर).</p>
-----------------	--

नाम परिवर्तन

मैं, ध्रुव गुर्जर (DHRUV GURJAR) पुत्र लक्ष्मी नारायण गुर्जर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम चेतन गुर्जर (CHETAN GURJAR) था जो मेरे पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं ध्रुव गुर्जर पुत्र लक्ष्मी नारायण गुर्जर के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, चेतन गुर्जर एवं ध्रुव गुर्जर दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी पॉलिसी में मेरा नाम चेतन गुर्जर के स्थान पर मेरा नाम ध्रुव गुर्जर लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चेतन गुर्जर)	(ध्रुव गुर्जर)
(G-1887)	पुत्र लक्ष्मी नारायण गुर्जर पता—शिवहरे कॉलोनी, मीरा नगर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, कलावती (KALAVATEE) पत्नी सुन्दर सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम कविता कुशवाह (KAVITA KUSHWAH) था जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं कलावती पत्नी सुन्दर के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे वोटरकार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. कलावती एवं कविता कुशवाह दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कविता कुशवाह के स्थान पर मेरा नाम कलावती लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कविता कुशवाह)	(कलावती)
(G-1888)	पत्नी सुन्दर पता—109, एम.एल.बी. रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मृणाल मिलिंद केतकर (MRUNAL MILIND KETKAR) पत्नी स्व. श्री मिलिंद मुकंद केतकर सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम संध्या (SANDHYA) था जो मेरे पति स्व. श्री मिलिंद मुकंद केतकर के सर्विस दस्तावेजों में मेरा नाम संध्या केतकर लिखा गया है. जबकि विवाह उपरांत मेरा नाम मृणाल मिलिंद केतकर पत्नी स्व. श्री मिलिंद मुकंद केतकर हो जाने से वर्तमान में मैं मृणाल मिलिंद केतकर के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है संध्या केतकर एवं मृणाल मिलिंद केतकर दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे पति स्व. श्री मिलिंद मुकंद केतकर के सर्विस दस्तावेजों में मेरा नाम संध्या केतकर के स्थान पर मेरा नाम मृणाल मिलिंद केतकर लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संध्या केतकर)	(मृणाल मिलिंद केतकर)
(G-1889)	पत्नी स्व. श्री मिलिंद मुकंद केतकर पता—फ्लेट नं. 204, सेकेंड फ्लोर, नवेगांव, बालाघाट (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह के पूर्व मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम बाली बारपेटे अंकित था। मेरा विवाह श्री नारायण बारपेटे से होने के पश्चात् मेरा नाम उर्मिला बारपेटे हो गया है। प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम उर्मिला बारपेटे लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

<p>पुराना नाम (बाली बारपेटे)</p> <p>(G-1890)</p>	<p>नया नाम (उर्मिला बारपेटे) पत्नी—श्री नारायण बारपेटे, निवासी—जूना पानी, तह. मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.).</p>
--	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह से पूर्व का नाम विमलेश कुशवाह पुत्री श्री नरहरी सिंह कुशवाह था। मेरा विवाह श्री उम्मेद सिंह तोमर पुत्र श्री नाथू सिंह तोमर के साथ होने से मेरा वर्तमान में नाम श्रीमती विमलेश तोमर पत्नी स्व. उम्मेद सिंह तोमर हो गया है। प्रकाशन उपरांत, मुझे श्रीमती विमलेश तोमर पत्नी स्व. श्री उम्मेद सिंह तोमर के नाम से जाना व पहचाना, लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

<p>पुराना नाम (विमलेश कुशवाह)</p> <p>(G-1891)</p>	<p>नया नाम (विमलेश तोमर) पत्नी—स्व. श्री उम्मेद सिंह तोमर.</p>
---	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लक्ष्मण आहूजा पुत्र गोइन्दमल आहूजा, निवासी—कमल टॉकिज रोड, डबरा (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रतना आहूजा हो गया है, जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेज पर सही नाम राशि आहूजा (RASHI AHUJA) अंकित है, प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्री के समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में सही नाम राशि आहूजा (RASHI AHUJA) पिता लक्ष्मण आहूजा के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

<p>(G-1892)</p>	<p>प्रार्थी (लक्ष्मण आहूजा) पुत्र—गोइन्दमल आहूजा.</p>
-----------------	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रमेश कुमार पटेल एवं पिता का नाम श्री श्याम लाल पटेल अंकित है एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रमेश कुमार पटेल एवं पिता का नाम श्री श्याम लाल पटेल दर्ज है। ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं। अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रमेश कुमार पटेल के स्थान पर रमेश कुमार पटेल (RAMESH KUMAR PATEL) एवं पिता का नाम श्री श्याम लाल पटेल के स्थान पर श्री श्याम लाल पटेल (SHYAM LAL PATEL) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जावे।

<p>पुराना नाम (रमेश कुमार पटेल)</p> <p>(G-1893)</p>	<p>नया नाम (रमेश कुमार पटेल) पिता का नया नाम — श्री श्याम लाल पटेल पता — क्वार्टर नंबर 10/1, 60 क्वार्टर, 6वीं बटालियन, एस.ए.एफ. रांझी तह.व. जिला जबलपुर.</p>
---	---

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, गेंदा लाल (GENDA LAL) आत्मज श्री रूपा लाल उरेती (RUPA LAL UREATI) ग्राम अमठेरा पो. बिलगांव थाना व तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम गेंदा लाल उरेती (GENDA LAL UREATI) आत्मज श्री रूपा लाल उरेती (RUPA LAL UREATI) दर्ज है, एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गेंदा लाल (GENDA LAL) आत्मज श्री रूपा लाल उरेती (RUPA LAL UREATI) दर्ज है. ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम गेंदा लाल (GENDA LAL) के स्थान पर गेंदा लाल उरेती (GENDA LAL UREATI) आत्मज स्व. श्री रूपा लाल उरेती (RUPA LAL UREATI) जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(गेंदा लाल)
(GENDA LAL)
(G-1894)

नया नाम
(गेंदा लाल उरेती)
(GENDA LAL UREATI)
आत्मज—स्व. श्री रूपा लाल उरेती
(RUPA LAL UREATI)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, रामचरण लोध (RAMCHARAN LODH) आत्मज श्री जीवन लाल लोधी (JEEVAN LAL LODHI) ग्राम—कोठी टोला, पो.—दिया, तहसील पन्ना, जिला—पन्ना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रामचरण लोधी (RAMCHARAN LODH) आत्मज श्री जीवन लाल लोधी (JEEVAN LAL LODHI) दर्ज है, एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रामचरण लोध (RAMCHARAN LODH) आत्मज श्री जीवन लाल लोधी (JEEVAN LAL LODHI) दर्ज है. ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रामचरण लोध (RAMCHARAN LODH) के स्थान पर रामचरण लोधी (RAMCHARAN LODHI) आत्मज श्री जीवन लाल लोधी (JEEVAN LAL LODHI) जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(रामचरण लोध)
(RAMCHARAN LODH)
(G-1895)

नया नाम
(रामचरण लोधी)
(RAMCHARAN LODHI)
आत्मज—श्री जीवन लाल लोधी
(JEEVAN LAL LODHI)

नाम परिवर्तन

मैं, महन्त विजय रामदास चेला श्री राघवदास, निवासी—38—3, ग्राम मेहगवांकला, पोर्ट सिलवानी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.). वर्तमान में मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम “विजय कुमार पलिया” अंकित हो गया है जबकि उसका सही व वास्तविक एवं प्रचलित नाम “महन्त विजयरामदास (MAHANT VIJAYRAMDAS) चेला राघवदास” है. प्रकाशन उपरांत मेरे पूर्व के नाम विजय कुमार पलिया के स्थान पर प्रचलित नाम “महन्त विजयरामदास (MAHANT VIJAYRAMDAS) चेला राघवदास” अंकित कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचान की जावे.

पुराना नाम
(विजय कुमार पलिया)
(G-1896)

नया नाम
“महन्त विजयरामदास (MAHANT VIJAYRAMDAS)
चेला राघवदास”.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भगवानदास प्रजापति पुत्र श्री रामकिशन प्रजापति, निवासी—म.नं. 09, आजाद वार्ड, गढ़कोटा, जिला सागर, मध्यप्रदेश मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अभय प्रजापति (ABHAY PRAJAPATI) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेज और जन्म प्रमाण—पत्र पर उसका सही नाम देवेन्द्र प्रजापति (DEVENDRA PRAJAPATI) पुत्र श्री भगवानदास प्रजापति लिखा हुआ है जो कि सही है। अतः भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अद्वैशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में देवेन्द्र प्रजापति (DEVENDRA PRAJAPATI) पुत्र श्री भगवानदास प्रजापति के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

आवेदक

(G-1897)

(भगवानदास प्रजापति)।

नाम परिवर्तन

मैं, अब्दुल राशिद खान पिता स्व. अब्दुल जाहिद खान, निवासी म.नं. 2369, आनंद नगर, सरफाबाद कुरैशी कंपाउंड के सामने अधारताल, जबलपुर मध्यप्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का पूर्व में नाम निदा खानम खान था एवं उसकी माता का नाम मेहरून निसा खान था जो कि गलत है। मेरी पुत्री का सही नाम निदा खानम एवं उसकी माँ का नाम मेहरून्निसा है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को निदा खानम के नाम से जाना व पहचाना जावे।

आवेदक

(G-1898)

(अब्दुल राशिद खान)
पिता—स्व. अब्दुल जाहिद खान।

नाम परिवर्तन

मैं, कन्हैया लाल नामदेव, मेरे पुत्र सक्षम नामदेव के शैक्षणिक दस्तावेजों में KANHIYALAL NAMDEO त्रुटिवश अंकित हो गया है, जिसे सुधारकर अंग्रेजी में KANHAIYALAL NAMDEO लिखा—पढ़ा व संबोधित किया जाये।

आवेदक

(G-1899)

(कन्हैया लाल नामदेव)
(KANHAIYALAL NAMDEO)।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public that our Partnership Firm M/s. **GANGA ASSOCIATES** having Firm Registration No. 07/38/01/0030/19 and Registered Office at 23, Palsikar Colony, Laal Sai Apartment, Indore-452007 registered with the Registrar of Firms, Indore (M.P.) has undergone the following changes -

1. Dr. Harish Manglani (Partner) and Mr. Vivek Manglani (Partner) have retired from the Partnership Firm with effect from the closing business hours of 31st March, 2024 and the remaining Partners namely Mr. Vinod Hassanandani, Mr. Harsh Hassanandani, Mr. Pavel Rajani and Mr. Palash Rajani will continue as the Partners of the Partnership Firm.

M/s. Ganga Associates
(Vinod Hassanandani)
(Partner).

(G-1900)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स डिवाइन इन्टरप्राईजेस तिली हास्पिटल के पीछे गुलाब कॉलोनी शिवाजी नगर वार्ड, सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 06/09/01/0081/20 सन् 2020–2021 दिनांक 27–10–2020 पर पंजीकृत है. फर्म में पंजीयन के समय दिनांक 19–10–2019 को नमन श्रीवास्तव व श्रीमती वर्षा विश्वकर्मा भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 1–7–2024 को नीरज कुमार श्रीवास्तव व अमन श्रीवास्तव को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में फर्म में नमन श्रीवास्तव, श्रीमती वर्षा विश्वकर्मा, नीरज कुमार श्रीवास्तव व अमन श्रीवास्तव भागीदार हैं। फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है। सर्व साधारण को सूचित किया जाता है।

फर्म मेसर्स डिवाइन इन्टरप्राईजेस

प्रार्थी

नमन श्रीवास्तव

(पार्टनर)

तिली हास्पिटल के पीछे, गुलाब कॉलोनी, शिवाजी नगर वार्ड,
सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.).

(G-1901)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व के शैक्षणिक तथा अन्य दस्तावेजों में नाम आंचल खटवानी पिता हरीश खटवानी अंकित है, मेरी शादी श्री हर्ष मतलानी से हो गई है, अब, मैं, श्रीमती रुही मतलानी, पत्नी श्री हर्ष मतलानी, निवासी—“श्री शीला” डी-100, एन.आर. स्टेट, बिचौली हप्सी, इंदौर (म.प्र.) के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी एवं भविष्य में मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों आदि में परिवर्तित नाम श्रीमती रुही मतलानी (SMT. RUHI MATLANI) लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(आंचल खटवानी)

(रुही मतलानी)

पुत्री हरीश खटवानी

पत्नी श्री हर्ष मतलानी

(G-1902)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम नरेन्द्र सिंह झाबुआ (NARENDRA SINGH JHABUA) पिता अजीत सिंह झाबुआ (AJIT SINGH JHABUA) निवासी—अजीत विलास, झाबुआ फार्म, खण्डवा रोड, लिम्बोदी, इन्दौर. मेरे आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पासपोर्ट पर मेरा नाम नरेन्द्र सिंह झाबुआ (NARENDRA SINGH JHABUA) पिता अजीत सिंह झाबुआ (AJIT SINGH JHABUA) दर्ज है एवं मेरा नाम पेनकार्ड पर मेरा नाम नरेन्द्र सिंह (NARENDRA SINGH) पिता राजा अजीत सिंह (RAJA AJIT SINGH) दर्ज/अंकित है। उपरोक्तानुसार नरेन्द्र सिंह झाबुआ (NARENDRA SINGH JHABUA) पिता अजीत सिंह झाबुआ (AJIT SINGH JHABUA) एवं नरेन्द्र सिंह (NARENDRA SINGH) पिता राजा अजीत सिंह (RAJA AJIT SINGH) दोनों ही नाम मेरे होकर एक ही पुरुष के नाम हैं। प्रकाशन उपरांत मुझे नरेन्द्र सिंह झाबुआ (NARENDRA SINGH JHABUA) पिता अजीत सिंह झाबुआ (AJIT SINGH JHABUA) के नाम से जाना व पहचाना जावे।

प्रार्थी

(नरेन्द्र सिंह झाबुआ) (NARENDRA SINGH JHABUA)

पिता अजीत सिंह झाबुआ (AJIT SINGH JHABUA)

(G-1903)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शशि वाधवा उर्फ भावना महेश वाधवा पत्नी श्री महेश वाधवा (एम. के. वाधवा), पुत्री स्व. श्री सुन्दर दास राजदेव. मेरा विवाह के पूर्व का नाम कुमारी शशि राजदेव पुत्री स्व. श्री सुन्दर दास राजदेव है जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री महेश वाधवा पुत्र श्री पेशुराम वाधवा, निवासी—मकान नम्बर 228, कल्पना नगर, भोपाल (म.प्र.) से हो जाने से विवाह उपरांत मुझे शशि वाधवा उर्फ भावना महेश वाधवा से जाना—पहचाना जाता है. श्रीमती शशि वाधवा उर्फ भावना महेश वाधवा दोनों नाम मेरे ही हैं. प्रकाशन उपरांत श्रीमती शशि वाधवा पत्नी श्री महेश वाधवा (एम. के. वाधवा) के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी.

प्रार्थी

(श्रीमती शशि वाधवा)

पति श्री महेश वाधवा (एम.के. वाधवा).

(G-1904)

CHANGE OF NAME

I Nitin Jain hereby declare in behalf of my son that, I have changed my Son's Name from Kalp Jain to Anay Jain. Henceforth in all of Govt. and non Govt. documents my Son's new Name will be written and read Anay Jain.

Applicant

(ANAY JAIN)

S/o. NITIN JAIN-Father

(G-1905)

33, Dadabhai Noroji Marg, Ujjain (M.P.).

CHANGE OF NAME

I hereby declare that, my correct name is Hitesh Kumar Mehta which is also written in most of my documents but in some of my old documents my name and surname written Hitesh Jain. So now I want to correct or change it, So Henceforth my name shall be written and read as a Hitesh Kumar Mehta.

Old Name

(Hitesh Jain)

(G-1906)

New Name

(Hitesh Kumar Mehta)

16/10, Tongya Compound,
Race course Road, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम राजेश कुमार वाधवानी पिता बशनदास वाधवानी था जो मेरे पहचान पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज था. वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तन कर सखी दिना मल पिता बशन दास वाधवानी (SAKHI DINA MAL S/o. BASHAN DAS WADHWANI) कर लिया है जो कि मेरे आधार कार्ड में अंकित है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(राजेश कुमार वाधवानी)

पिता बशनदास वाधवानी

(G-1907)

नया नाम

(सखी दिना मल)

पिता बशनदास वाधवानी

फ्लेट नं. 101, देव आशीप अपार्टमेंट,
76-बी, प्रेम नगर, इन्दौर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप कुमार शर्मा, निवासी—5 यमुना नगर, दर्पण कालोनी, थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम अमन पुरोहित पिता प्रदीप पुरोहित एवं माता नीतू पुरोहित अंकित है जो कि गलत है जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं आधार कार्ड में उसका नाम अमन शर्मा (Aman Sharma) पिता प्रदीप कुमार शर्मा (Pradeep Kumar Sharma) एवं माता का नाम नीतू शर्मा (Nitu Sharma) अंकित है जो कि सही एवं सत्य है। अतः, प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम अमन शर्मा (Aman Sharma) पिता प्रदीप कुमार शर्मा (Pradeep Kumar Sharma) एवं माता का नाम नीतू शर्मा (Nitu Sharma) के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा दज किया जावे।

प्रार्थी

(G-1908)

(प्रदीप कुमार शर्मा).

PUBLIC NOTICE

(U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given that in the Firm "JVK ENTERPRISES" of Bhopal *vide* Registration No. 01/01/01/0438/16 year 2015-2016, dated 24-2-2016. undergone the following changes :-

That both partners of "JVKE ENTERPRISES" have been mutually agreed that the firm should be dissolved w.e.f. 30-8-2024.

M/s. JVK ENTERPRISES

Vaibhav Dubey

(Partner).

(G-1909)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम जयंती लुणावत (Jayanti Lunawat) था, जो कि अब परिवर्तित कर जयंती लाल लुणावत (Jayanti Lal Lunawat) कर लिया गया है। अतः, भविष्य में मुझे इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम

(जयंती लुणावत)

(G-1910)

नया नाम

(जयंती लाल लुणावत)

पिता भेरुलाल लुणावत

पता—53, सुभाष मार्ग, रतलाम।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम चंदाबाई चोरडिया (Chandabai Chordia) था, जो कि अब परिवर्तित कर चंद्रप्रभा चोरडिया (Chandraprabha Chordia) कर लिया गया है। अतः, भविष्य में मुझे इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम

(चंदाबाई चोरडिया)

(G-1911)

नया नाम

(चंद्रप्रभा चोरडिया)

पिता—126, चांदनीचौक, रतलाम।

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, उपखण्ड—बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
बुरहानपुर, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्ररूप — 4

[नियम 5 (1) देखिए]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

क्र. क—लो.न्या.—2024—1998—प्र.क्र.—बी—113—2024—25.— एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक/अध्यक्ष श्री एकनाथ विठ्ठल मंदिर ट्रस्ट, दालियावाड़ी शहर तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष प्रशांत पिता नरेन्द्र कुमार मशरूवाला, निवासी दालियावाड़ी, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा एक आवेदन पत्र पेश कर श्री एकनाथ विठ्ठल मंदिर ट्रस्ट दालियावाड़ी का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया। एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 5 अगस्त 2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और उपरोक्त अवधि में मेरे समक्ष या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार में नहीं लिया जावेगा :—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

1. नाम श्री एकनाथ विठ्ठल मंदिर ट्रस्ट, दालियावाड़ी, शहर तहसील व जिला बुरहानपुर एवं अध्यक्ष प्रशांत पिता नरेन्द्र कुमार मशरूवाला, निवासी दालियावाड़ी, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.)。
2. चल संपत्ति —
3. अचल संपत्ति —

जारी दिनांक 5 अगस्त 2024

पल्लवी पुराणिक, पंजीयक.

(G-1912)

कार्यालय, लोक न्यास, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड जतारा, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश प्र.क्र. 0001-बी-113(1)-2024-25.

जतारा, दिनांक 23 अगस्त 2024

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के अन्तर्गत]

लोक न्यास पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड जतारा, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश के समक्ष।

क्र.-रीडर-1-एस.डी.ओ.-2024-16.-यह कि सचिव बृजमोहन पस्तोर श्री ठाकुर लक्ष्मण जू लोक न्यास बड़ा मंदिर लिधौरा, तहसील-लिधौरा, जिला- टीकमगढ़ मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया है, एतदद्वारा सूचना- पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 24 सितम्बर 2024 को 2:00 बजे तक कार्यालीन दिवस पर मेरे न्यायलय में विचार में लिया जायेगा।

अतः एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त अपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा :—

1. लोक न्यास का नाम व पता : श्री ठाकुर लक्ष्मण जू लोक न्यास बड़ा मंदिर लिधौरा, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।

2. सम्पत्ति का विवरण:-

श्री ठाकुर लक्ष्मण जू लोक न्यास बड़ा मंदिर लिधौरा, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश की अचल संपत्ति की अनुसूची

क्र.	स्थिति कृषि भूमि	भूस्वामी	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हैकटेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लिधौरा खास	श्री श्री 1008 श्री गुफा के हनुमान जी महाराज विराजमान बड़ा मंदिर लिधौरा।	194, 195, 196, 197, 198, 199, 200	4.055	—
2.	लिधौरा खास	श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा।	1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380।	3.869	—
3.	सुनरई	श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा।	627, 631, 632, 638, 639, 640, 4.914 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 663	—	—
4.	पहाड़ी बुजुर्ग	श्री ठाकुर लक्ष्मण जी महाराज बड़ा मंदिर, लिधौरा।	854, 855, 858, 861, 862/1, 862/2, 863, 866, 924, 926	1.958	—
5.	वावई	श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा।	507, 1313	0.0160	1/8 हिस्सा
6.	वावई	श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा।	179, 188, 190, 501, 505, 875, 877, 1097, 1099, 1102, 1105, 1107, 1179, 1188, 1189, 1190, 1280।	4.983	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	वावई	श्री ठाकुर लक्ष्मण जू बड़ा मंदिर, लिधौरा.	296, 300, 306	0.1630	1 / 8 हिस्सा
8.	वावई	श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा.	312, 1317	0.1780	1 / 4 हिस्सा
9.	वावई	श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा.	1095	0.0610	1 / 2 हिस्सा
10.	वावई	श्री ठाकुर लक्ष्मण जू बड़ा मंदिर, लिधौरा.	1100, 1101, 1106	0.1750	1 / 2 हिस्सा
11.	वावई	श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा.	1181	0.0400	1 / 8 हिस्सा
12.	वावई	श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा.	1308, 1314, 1320	0.3960	1 / 2 हिस्सा
13.	लिधौरा	श्री महंत दामोदरदास चेला बालकदास.	291, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1458, 1459, 1460, 1461, 1464, 462 / 3156, 1126 / 3177, 1126 / 3178	2.093	
14.	वावई	श्री महंत बालकदास चेला महंत, मनीरामदास.	189	0.5550	
15.	बोडा	मंदिर श्री महाराज लक्ष्मण जी (तह. मऊरानीपुर)	600	2.0550	

चल सम्पत्ति

श्री ठाकुर लक्ष्मण जू लोक न्यास बड़ा मंदिर तिधीरा जिला—टीकमगढ़ मध्यप्रदेश की चल सम्पत्ति की अनुसूची

क्र. (1)	चल सम्पत्ति का विवरण (2)	तादाद (3)
1.	शेषशाही भगवान की मूर्ति बड़े स्वरूप में	01
2.	शेषशाही भगवान की मूर्ति छोटे स्वरूप में	02
3.	रामजी एवं सीता जी की बड़ी मूर्ति	02
4.	राम लक्ष्मण सीता तीन का सैट मीडियम	03
5.	श्रीकृष्ण भगवान की मूर्ति	01
6.	लड्डू गोपाल की बड़ी मूर्ति	01
7.	लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति	05
8.	देवी जी प्रतिमा पीतल की शेर पर विराजमान मूर्ति	01

(1)	(2)	(3)
9.	श्री हनुमान जी पर्वतधारण किये हुए मूर्ति	02
10.	पीतल का सिंहासन मय क्षत्र के	01
11.	सिंहासन में लक्ष्मी, विष्णु, गणेश छोटी मूर्तियां	03
12.	सिंहासन में हनुमान प्रतिमा छोटी मूर्तियां	02
13.	हाथ जोड़े हुए श्री हनुमान जी मूर्ति	01
14.	पंचमुखी हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति	01
15.	पीतल का राम दरवार मूर्ति विग्रह	01
16.	श्री विष्णु लक्ष्मी चाँदी के पत्र पर छोटी सिक्का नुमा	01
17.	श्री हनुमान जी गौलाकार पीतल के पत्र पर	01
18.	श्री हनुमान जी पीतल के चौकोर पत्र पर	01
19.	श्री हनुमान जी की मूर्ति पीतल छोटी अष्ट कमल दल पर	01
20.	श्री शालिगराम शिला स्वरूप बड़े विग्रह	09
21.	श्री शालिगराम शिला स्वरूप छोटे विग्रह	44
22.	श्री गरुड जी बड़े स्वरूप में	02
23.	श्री गरुड जी छोटे स्वरूप में	01
24.	श्री शंगी अभिषेक करने वाली पीतल की	01
25.	घनुष पीतल के	05
26.	कलश पीतल का	01
27.	अर्गापात्र पीतल का	01
28.	श्री अर्गाआसन पीतल का	01
29.	ताँबे का पात्र श्री ठाकुरजी के स्नान हेतु	01
30.	ताँबे की प्लैटे छोटी	02
31.	पीतल की कसेंडी छोटी	01
32.	चांदी का छत्र	01
33.	गिलास तोड़ा का	01
34.	आरती पीतल की पंचवत्ती	01
35.	अखण्ड ज्योति चीतल की बड़ी	01
36.	लोटा कसकूट का छोटा	01
37.	पात्र चरणामृत मय चौकी के	01
38.	पलंग सिंहासननुमा लकड़ी का	01

(1)	(2)	(3)
39.	बक्सा चददर का छोटा	01
40.	ताँबे का लोटा	01
41.	झालर पीतल की बड़ी तीन छोटी एक कुल	04
42.	शंख	01
43.	शंख अर्गा छोटा	01
44.	इलैक्ट्रिक बाइयंत्र मशीन (नगाड़ा)	01
45.	ढाल	03
46.	तलवार	01
47.	हनुमान जी के पास पीतल का घण्टा	01
48.	हनुमान प्रतिमा (पाषाण की)	01
49.	शिवलिंग शिला मय जरायू	01
50.	दान पात्र स्टील का	01
51.	श्री राधा की मूर्ति पीतल की	01
52.	श्री नागेश्वर महादेव शिवलिंग 01 शिवपरिवार गणेश कार्तिकेय माँ पार्वती	01
53.	श्री परशुराम भगवान की मूर्ति	01
54.	हनुमान जी की मूर्ति	01
55.	पीतल की नाद बड़ी	01
56.	पीतल की नाद छोटी	01
57.	पीतल नौबद	01
58.	पीतल का भगोना बड़ा	01
59.	मटकिया पीतल की बड़ी	01
60.	पीतल मटकिया छोटी	01
61.	पीतल का हजारा	01
62.	पीतल की कसेडियां	01
63.	कसकूट लोटा छोटा	01
64.	पीतल बाल्टी बड़ी	01
65.	पीतल पतेली छोटी	02
66.	तसला गौलदानपात्र	01
67.	कासे की बड़ी थाली	02
68.	कासे की थाली छोटी	05

(1)	(2)	(3)
69.	पीतल का कुपरा	01
70.	पीतल की परात बड़ी	01
71.	टब नये एल्यूमिनियम के बड़े	04
72.	टब पुराने एल्यूमिनियम	02
73.	पतेली एल्यूमिनियम की छोटी	04
74.	गैस भटटी	02
75.	गैस सिलेण्डर इण्डेन	02
76.	गैस चूल्हा	02
77.	बाल्टी स्टील	08
78.	कड़ाई लोहे की	01
79.	गैस बत्ती छोटे सिलेण्डर	03
80.	गिलास स्टील बड़े	30
81.	स्टील गिलास छोटे	50
82.	स्टील थाली खाने वाली	150
83.	स्टील कटोरा	60
84.	स्टील जग	02
85.	कटोरा कासे के	05
86.	स्टील पतेली	02
87.	स्टील का डिब्बा	03
88.	स्टील की टंकी बड़ी	01
89.	स्टील की परांत	02
90.	कुकर मझौला	02
91.	इंडेक्शन चुल्हा	01
92.	नगाड़े	02
93.	रथयात्रा की सामग्री लकड़ी सैट	01
94.	लकड़ी का सिंहासन	01
95.	पालकी ठाकुर जी की	01
96.	पीनस लकड़ी का (अच्छी)	01
97.	हारमोनियम	01
98.	कनातें	04

(1)	(2)	(3)
99.	कूलर चद्दर का बड़ा	01
100.	कूलर चद्दर का मझोला	01
101.	कूलर छोटे	02
102.	कूलर फाईवर का छोटा	01
103.	एयर कंडीशन (ए.सी.हिटाची 2.5 टन का चालू)	01
104.	सीलिंग फैन चालू	17
105.	तखत चौकी लकड़ी के बड़े	10
106.	कुर्सी फाईवर की	04
107.	पीतल के हडा बड़े	02
108.	तिजोरी लोहे की पुरानी	01
109.	अलमारी गोदरेज	01
110.	सोफा लकड़ी का सेट	01
111.	आराम सोफा कुर्सी	01
112.	बैंड पलंग सिंगल	02
113.	रेक स्टैण्ड लोहे का	01
114.	फ्रिज रेफ्रीजरेटर	01
115.	मिक्सी फाईवर	01
116.	स्टेण्ड फैन लोहा	01
117.	टेबिल फेन	02
118.	दीवाल पंखा	01
119.	बक्सा चद्दर के बड़े	02
120.	दीवाल घड़ी	02
121.	एयर कंडीशनर नये	02
122.	गीजर	03

चल सम्पत्ति

श्री ठाकुर लक्ष्मण जू बड़ा मंदिर लिधौरा से सबद्ध पहाड़ी बुजुर्ग स्थित राम जानकी मंदिर की चल सम्पत्ति की अनुसूची

क्र.	चल सम्पत्ति का विवरण	तादाद
(1)	(2)	(3)
1.	श्री रामदरबार की मूर्ति	03
2.	श्री राधाकृष्ण की मूर्ति	02
3.	श्री हनुमान जी की मूर्ति	01
4.	श्री शालिकराम शिला	03

(1)	(2)	(3)
5.	श्री गरुड जी पीतल	01
6.	आचमनी पीतल की	01
7.	कासे की थाली	01
8.	ताबे का लोटा	01
9.	पीतल की नाद	01
10.	पीतल का कलश	01
11.	लोटा	02
12.	थाली	04
13.	गिलास	10
14.	गैस सिलेण्डर	01
15.	गैस चुल्हा	01
16.	भोजन बर्टन	12
17.	शंख	01
18.	झालर	01

(G-1913)

शैलेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएँ

कार्यालय, सहकारी निरीक्षक, खरगोन एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 1 अगस्त 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यु-उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगोन द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुरपाला.	708 / 19-7-2021	1340 / 28-6-2003	बडवाह	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि. बडवाह
2.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भोगवानिपानी, तह. सनावद.	708 / 19-7-2021	1311 / 15-1-2002	बडवाह	मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि. बडवाह
3.	श्री लक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्या., भीकनगांव, तह. भीकनगांव.	1260 / 22-2-2023	1829 / 10-3-2014	भीकनगांव	मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक, खरगोन

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम—1962 के नियम—57 (सी) के अन्तर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक, खरगोन एवं परिसमापक उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंतवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) एवं आपत्तियाँ मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्ट्यां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1914)

मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

नर्मदापुरम, दिनांक 31 जुलाई 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2024—1476.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—परिसमापन—2013—76, होशंगाबाद, दिनांक 14 जनवरी 2020 के द्वारा परिसमापित मॉ वैष्णो प्रा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, राईखेडी, पंजीयन क्रमांक 2763, दिनांक 1 जून 2002 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 76, दिनांक 14 जनवरी 2020 के तहत् शिवशंकर पगारे को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंश शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी, नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्टर की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक—एफ—5—199—पन्द्रह—1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित मॉ वैष्णो प्रा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, राईखेडी, पंजीयन क्रमांक 2763, दिनांक 1 जून 2002 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1915)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2024—1477.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—परिसमापन—2014—703, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च 2014 के द्वारा परिसमापित श्री बाबा साई बीज एवं पौध क्रय—विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, रोहना, पंजीयन क्रमांक 2731, दिनांक 10 अप्रैल 2001 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 705, दिनांक 29 मार्च 2014 के तहत श्री डी. पी. पाल को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 13 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंश शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक—एफ—5—199—पन्द्रह—1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित श्री बाबा साई बीज एवं पौध क्रय—विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, रोहना, पंजीयन क्रमांक 2731, दिनांक 10 अप्रैल 2001 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाड़ी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1916)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2024—1478.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—परिसमापन—2010—450, होशंगाबाद, दिनांक 26 अप्रैल 2010 के द्वारा परिसमापित प्रगति साख सहकारी समिति मर्यादित, खामदा, संपरिवर्तन क्रमांक 3312, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 75, दिनांक 14 जनवरी 2022 के तहत श्रीमती कंचन सोनी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 9 जुलाई 2014 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंश शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक—एफ—5—199—पन्द्रह—1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित प्रगति साख सहकारी समिति मर्यादित, खामदा, संपरिवर्तन क्रमांक 3312, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाड़ी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1917)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2024—1479.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—परिसमापन—2013—412, होशंगाबाद, दिनांक 22 अप्रैल 2010 के द्वारा परिसमापित जय माँ कालिका साख सहकारी समिति मर्यादित, निटाया, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3340, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 1064, दिनांक 10 सितम्बर 2013 के तहत विनीता चौधरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंश शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्टर की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञाप्ति क्रमांक—एफ—5—199—पन्द्रह—1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित जय माँ कालिका साख सहकारी समिति मर्यादित, निटाया, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3340, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1918)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2024—1480.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—परिसमापन—2016—442, होशंगाबाद, दिनांक 26 अप्रैल 2010 के द्वारा परिसमापित राजीव गांधी साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3305, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 989, दिनांक 30 मई 2016 के तहत विनीता चौधरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंश शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्टर की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञाप्ति क्रमांक—एफ—5—199—पन्द्रह—1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित राजीव गांधी साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3305, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1919)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-1481.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—परिसमापन—2013-438, होशंगाबाद, दिनांक 26 अप्रैल 2010 के द्वारा परिसमापित माँ शारदा साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3285, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 989, दिनांक 30 मई 2016 के तहत विनीता चौधरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंश शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञापित क्रमांक—एफ-5-199—पन्द्रह—1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित माँ शारदा साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3285, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1920)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-1482.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—परिसमापन—2013-437, होशंगाबाद, दिनांक 26 अप्रैल 2010 के द्वारा परिसमापित गुरु गोविन्द सिंह साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3283, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 989, दिनांक 30 मई 2016 के तहत विनीता चौधरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंश शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञापित क्रमांक—एफ-5-199—पन्द्रह—1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित गुरु गोविन्द सिंह साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3283, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1921)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-1483.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—परिसमापन—2010—337, होशंगाबाद, दिनांक 7 मार्च 2015 के द्वारा परिसमापित बालाजी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, क्रमांक 3075, दिनांक 17 मई 2012 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 77, दिनांक 14 जनवरी 2022 के तहत् श्रीमती कंचन सोनी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 9 जुलाई 2014 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंश शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक—एफ—५—१९९—पन्द्रह—१सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित बालाजी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, क्रमांक 3075, दिनांक 17 मई 2012 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1922)

शिवम मिश्रा, उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, हरदा, मध्यप्रदेश¹
हरदा, दिनांक 22 जुलाई 2024

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के तहत)

यह कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2629, दिनांक 4 जुलाई 1996 है, को कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नर्मदापुरम, संभाग नर्मदापुरम द्वारा आदेश क्रमांक—विधि—परि.-2023-457, दिनांक 20 अप्रैल 2023 द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, की शक्तियों का उपयोग करते हुए सुधीर मोने, उप अंकेक्षक, कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः, मैं, सुधीर मोने, उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक 2629, दिनांक 4 जुलाई 1996 से संबंद्ध समस्त संबंधितों को इस सूचना—पत्र के माध्यम से सूचित करता हूँ कि उक्त सूचना पत्रक जारी करने की दिनांक 18 अप्रैल 2024 से 02 माह की समयावधि के भीतर यदि कोई दावा/आपत्ति अथवा कोई अभिलेख अथवा संस्था से संबंधित कोई जानकारी हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मय दस्तावेजों/साक्ष्य सहित कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारिता, जिला हरदा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य/स्वीकार नहीं किए जावेंगे। प्राप्त दावा आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया जावेगा।

उक्त सूचना—पत्र आज दिनांक 18 अप्रैल 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

(G-1923)

सुधीर मोने, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक।

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.—सह—परि—24—क्यू— जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला—सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजी. क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लखनादौन	864	1603/8—8—2022
2	जागृति मत्स्य सहकारी समिति मर्या., भरदा	893	1651/8—8—2022
3	साक्षी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या., सिहोरा	1008	1063/8—8—2022
4	अरण्य चिकित्सा वन परिक्षेत्र सहकारी समिति मर्या., धूमा	973	1733/16—6—2022
5	नवचेतना महिला बहुउद्देशीय अजा./अ.ज.जा./शक्तिपुंज सहकारी समिति मर्या., आमई	987	1776/18—8—2022
6	सेता सरस्वती तिक्कलांग सहकारी समिति मर्या., आमई	989	1778/18—8—2022
7	कामगार श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., धनककड़ी	761	1794/18—8—2022
8	प्रगतिशील यातायात सह.स. देवतामड	847	847/5—4—2022
9	कालभैरव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आदेगांव	1063	1633/8—8—2022
10	गांझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., नागदहार	880	1650/8—8—2022
11	रानी दुर्गावती फोब्रेकशन सहकारी समिति मर्या., धनककड़ी	1141	1795/18—8—2022
12	दुग्ध उत्पादक समिति, पुरवा	434	265/6—2—2023
13	दुग्ध उत्पादक समिति, प्रेमपुर भालीवाडा	367	265/6—2—2023
14	पवार धान कुटाई उद्योग सह स. मेहरापिपरिया	131	430/31—3—2017
15	किसान चांवल दाल उद्योग सह. स., खुर्सीपार	137	430/31—3—2017
16	आदि नानल नाल उद्योग स.स., मोहगावनागन	127	430/31—3—2017
17	चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति सेजवाडा	138	430/31—3—2017
18	आदिवासी नछुआ सहकारी समिति मर्या. धूमा	867	1652/8—8—2022
19	किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिण्डरई	1068	1620/8—8—2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः, मैं, कमलेश मरावी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में, कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की रिथति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में, कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि, यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1924)

कमलेश मरावी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू-जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजी. क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोटिया	786	2132/17-12-2019
2	आदर्श ग्राम तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिहोरा	113	2132/17-12-2019
3	पीतल पात्र उद्योग सहकारी समिति मर्या., आदेगांव	19	2132/17-12-2019
4	प्रयास श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी	976	1736/16-8-2022
5	आदर्श ग्राम तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी	207	430/31-3-2017
6	तेल उद्योग सह. समिति मर्या., कुकलाह	81	430/31-3-2017
7	राजस्थानी महिला सह. समिति मर्या., सिवनी	949	1716/16-8-2022
8	डॉ. अम्बेडकर चर्म विकास सह. समिति मर्या., कान्हीवाडा	779	2122/17-12-2019
9	किसान बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., सिवनी	958	1607/8-8-2022
10	नागरिक सहकारी साख समिति मर्या., सिवनी	919	2836/18-11-2022
11	विनायक स्टेशनर्स सह. समिति मर्या., सिवनी	950	1717/16-8-2022
12	उन्नत महिला बोरा बोरी क्रय विक्रय सह. समिति मर्या. सिवनी	1047	1788/18-8-2022
13	ओम नर्सरी सह. समिति मर्या., कोहका	1049	1790/18-8-2022
14	मानव सेवा सह. समिति मर्या., सिवनी	1050	1790/18-8-2022
15	गेस उपभोक्ता सह. समिति मर्या., सिवनी	1053	1792/18-8-2022
16	नव शक्ति सह. समिति मर्या., सिवनी	979	1770/18-8-2022
17	आजाद हिंद जनकल्याण सह. समिति मर्या., सिवनी	978	1771/18-8-2022
18	सहली गृह उद्योग नेटवर्क मार्क. सह. समिति मर्या., सिवनी	984	1773/18-8-2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः, मैं, एम.के. बाझल, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी—ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में, कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में, कार्यालयीन दिवस व समय में उपरिथित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि, यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1925)

मुकेश कुमार बाझल, परिसमापक एवं सह. निरी।

सिवनी, दिनांक 9 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.—सह—परि—24—क्यू.— जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला—सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजी. क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)
1	हमारा दफ्तर हमारा घर सहकारी समिति मर्या., कले., सिवनी	951	28—6—2023
2	हमारा दफ्तर हमारा घर साख सहकारी समिति मर्या., सिवनी	8952	28—6—2023
3	सर्वोदय खादी ग्राम उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी	50	
4	लक्ष्मी महिला शक्ति पुंज बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरेलीपार	971	1731/16—8—2022
5	बैशाली सिविल सप्लायर्स सहकारी समिति मर्या., सिवनी	942	28—6—2023
6	मानव सेवा संवर्धन एवं समाज सांस्कृतिक शिक्षण अंतर्गत प्रशिक्षण व सत्संग सहकारी समिति मर्या., सिवनी	943	28—6—2023
7	मोगली पेंच वर्कर सहकारी समिति मर्या., सिवनी	947	28—6—2023
8	सिल्वर क्लब सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सहकारी समिति मर्या., सिवनी	948	28—6—2023
9	आदर्श बेरोजगार श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., संगई	985	1774/18—8—2022
10	बेरोजगार दलित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., लूधरवाडा	986	1775/18—8—2022

(1)	(2)	(3)	(4)
11	त्रिमूर्ति श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., भैरोगंज	988	1777/18-8-2022
12	चर्मकार सहकारी समिति मर्या., सिवनी क्र. 2	803	266/6-2-2023
13	नर्मदा निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी	994	1780/18-8-2022
14	संजीवनी सहकारी समिति मर्या., सिवनी	1001	1782/18-8-2022
15	कम्प्यूटर ऐजुकेशन एवं डेव्हलेपमेंट सहकारी समिति मर्या., सिवनी	1006	1784/18-8-2022
16	अनु. जाति/अ.ज.जा. श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., भैरोगंज	1007	1785/18-8-2022
17	यश महिला रटेशनर्स सहकारी समिति मर्या., सिवनी	981	1766/18-8-2022
18	आदर्श मिट्टी तेल हाकर्स एवं पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या., सिवनी	982	1776/18-8-2022
19	श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी	980	1776/18-8-2022

उक्त परिसमाप्ति समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः, मैं, डी.के. डहेरिया, परिसमाप्त एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में, कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि, यदि किसी के पास होना पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1926)

डी. के. डहेरिया, परिसमाप्त एवं उप अंकेक्षक।

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24.— जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला—सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमाप्त नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजी. क्र./ दिनांक	परिसमाप्त आदेश दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पायलीखुद	396	722/5-4-2022
2	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उगली	247	722/5-4-2022

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अंकुर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पहाड़ी	875	1605/8-8-2022
4	बसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भालीवाड़ा	1051	1608/8-8-2022
5	किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झुरकी	1062	1614/8-8-2022
6	बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गंगपुर	1066	1618/8-8-2022
7	बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्होड़ी	1067	1619/8-8-2022
8	माझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., अतरिया	860	1806/23-8-2022
9	हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., दिवारी	770	2194/31-10-2022
10	मत्स्य सहकारी समिति मर्या., खिरखिरी	350	1653/8-8-2022
11	आदर्श बैनगंगा बीच उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैपुरा	1077	1627/8-8-2022
12	महालक्ष्मी लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घंसौर	1032	1685/8-8-2022
13	विकास महिला लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर	1010	1665/8-8-2022
14	प्रा.लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहरापिपरिया	1041	1698/8-8-2022
15	आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या., बिछुआ	381	1648/8-8-2022
16	ग्रामोद्योग चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., घंसौर	684	722/5-4-2022
17	उजाला सहकारी समिति मर्या., दिवारा	990	1779/18-8-2022
18	सहयोगी अ.जा. महिला श्रमिक कल्याण एवं निर्माण सहकारी समिति मर्या., नागाबाबा घंसौर	1048	1789/18-8-2022

उक्त परिसमाप्ति समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः, मैं, वाणी विलास शर्मा, परिसमाप्क एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतदद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में, कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1927)

वाणी विलास शर्मा, परिसमाप्क एवं सहकारी निरीक्षक।

सिवनी, दिनांक 22 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.—सह—परि—24—क्यू— जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला—सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70—1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजी. क्र.	परिसमापन आदेश क्र.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नर्मदा बुनकर सहकारी समिति मर्या., धनवाही	303	2132/17—12—2022
2	भूमि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिन्दुआ	1080	1630/8—8—2022
3	जिला स्टेशनर्स एवं वाइडिंग सहकारी समिति मर्या., सिवनी	108	1706/16—8—2022
4	इंदिरा महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., सिवनी	612	1707/16—8—2022
5	बस स्थापक परिवहन प्रबंधन सहकारी समिति मर्या., सिवनी	865	1708/16—8—2022
6	म.प्र. सड़क परिवहन छी.आर.एस. कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., सिवनी	863	1709/16—8—2022
7	जगदम्बा समृद्धि विद्युत आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सिवनी	873	1710/16—8—2022
8	जनकल्याण सहकारी समिति मर्या., खापा	944	1713/16—8—2022
9	भारतमाता बुनकर सहकारी समिति मर्या., सिवनी	349	715/4—4—2022
10	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दोंदीवाड़ा	420	715/4—4—2022
11	पीतल पात उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी	54	715/4—4—2022
12	आदिवासी हरिजन बिड़ी श्रमिक कामगार सहकारी समिति मर्या., सिवनी	334	715/4—4—2022
13	बाल्मिकी रेशम उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी	325	715/4—4—2022
14	बंशकार बांस शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी	809	715/4—4—2022
15	भीमगढ़ बांध विस्था. सहकारी समिति मर्या., सिमरिया	726	722/5—4—2022
16	भीमगढ़ बिरथा मछुआ सहकारी समिति मर्या., भीमगढ़	717	722/5—4—2022
17	बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छपारा	955	1606/8—8—2022
18	महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दरबई	1065	1617/8—8—2022
19.	महिला कामगार एवं श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., छपारा	977	1766/18—8—2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं, एन.डी. कटरे, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी—ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की रिथिति में कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1928)

एन. डी. कटरे, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

सिवनी, दिनांक 22 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.—सह—परि—24—क्यू— जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला—सिवनी के आदेश के अंतर्गत म.प्र. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70—1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजी. क्र.	परिसमापन आदेश क्र.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आनंद महिला लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुर्सीपार	1011	1666/8—8—2022
2	प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रेंचना	1012	1667/8—8—2022
3	प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिमनाखारी	1035	1686/8—8—2022
4	जनकल्याण प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगांव	1040	1688/8—8—2022
5	युगान्तर प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बुढ़ेनाखुर्द	1045	1689/8—8—2022
6	विकास प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मानेगांवखुर्द	1042	1690/8—8—2022
7	प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केसलाकलौ	1043	1691/8—8—2022
8	धनलक्ष्मी लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिंडरईखुर्द	1039	1695/8—8—2022
9	बिलवे सहकारी समिति मर्या., बरधाट	957	1722/16—8—2022
10	गोंडवाना दौंदी पहाड़ जनसेवा सहकारी समिति मर्या., मिर्चीटोल पाथरफोड़ी	966	1727/16—8—2022
11	आदिशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहराबोड़ी	1087	1637/8—8—2022
12	भक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दौंदीवाड़ा	1088	1638/8—8—2022
13	प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धपारा	995	1656/8—8—2022
14	आदर्श लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साल्हेखुर्द	1000	1661/8—8—2022
15	आदिवासी श्रमिक रेत एवं खनिज कामगार सह. समि. मर्या., टेटमा	963	1772/18—8—2022
16	महाबीर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खामी	1086	1636/8—8—2022
17	प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुंडरई	1037	1693/8—8—2022
18	धनलक्ष्मी लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरिया रैयत	1021	1669/8—8—2022
19.	प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करकोटी	1038	1697/8—8—2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः, मैं एस.डी. तंतुवाय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी-ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपरिथित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1929)

एस.डी. तंतुवाय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू— जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत म.प्र. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70-1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र. •(1)	परिसमापनाधीन संस्था का नाम (2)	पंजी. क्र. (3)	परिसमापन आदेश क्र. दिनांक (4)
1	अगरबत्ती काड़ी कामगार सहकारी समिति मर्या., खारी	328	715/4-4-2022
2	लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नाचनवाही	1009	1664/8-8-2022
3	लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरवैली	1013	1668/8-8-2022
4	लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरखपुर	1014	1669/8-8-2022
5	श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेरापलारी	1055	1610/8-8-2022
6	लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खापापांजरा	1023	1674/8-8-2022
7	प्रज्ञा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छिडियापालारी	1059	1612/8-8-2022
8	सर्वोदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिठली	1061	1613/8-8-2022
9	गुरुनानक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बखारी	1081	1631/6-8-2022
10	दिव्या बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छिंदगार	1085	1635/6-8-2022
11	ओम साई राम बीज उत्पादक संहकारी समिति मर्या., लूधरवाड़ा	1091	1641/8-8-2022
12	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खामखरेली	1093	1642/8-8-2022
13	देवी अनुपा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बन्डोल	1095	1643/8-8-2022

(1)	(2)	(3)	(4)
14	आदर्श वन लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुकलाह	1019	1677/8-8-2022
15	न्यू महावीर व्यामशाला सहकारी समिति मर्या., बल्लारपूर	960	1725/16-8-2022
16	वेनगंगा श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., छपारा	1000	1781/18-8-2022
17	अनु. जाति श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., छपारा	1005	1783/18-8-2022
18	प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चुरनाटोला	1031	1682/8-8-2022
19.	प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उडेपानी	1044	1692/8-8-2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं, दीप मयंक करपाची, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी-ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्योदावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1930)

दीप मयंक करपाची, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

सिवनी, दिनांक 22 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू— जिला सिवनी की निम्नालिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत म.प्र. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70-1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

(1)	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजी. क्र. परिसमापन आदेश क्र.	
		(3)	(4)
1	इंदिरा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., डूँडासिवनी	16	722/5-4-2022
2	प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी	594	722/5-4-2022
3	नीलसागर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी	476	722/5-4-2022
4	महालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी	705	722/5-4-2022
5	मंगलीपेठ बुनकर सहकारी समिति मर्या., सिवनी	89	722/5-4-2022

(1)	(2)	(3)	(4)
6	जिला थोक उपभोक्ता भंडार मर्या., सिवनी	336	722/5-4-2022
7	दूर संचार कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., सिवनी	771	722/5-4-2022
8	आदर्श श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी	616	722/5-4-2022
9	पारसमणी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., सिवनी	730	1645/8-8-2022
10	गुरुनानक महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., सिवनी	656	1646/8-8-2022
11	तिलक महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., सिवनी	844	1647/8-8-2022
12	हाथकरघा बुनकर उद्योग सिलाई प्रशिक्षण सह.सह.मर्या., सिवनी	969	1649/8-8-2022
13	जिला सिवनी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या., सिवनी	1018	1699/8-8-2022
14	दलित उत्थान सिविल सप्लायर्स सहकारी समिति मर्या., सिवनी	968	1729/16-8-2022
15	सम्यक जनस्वास्थ्य कल्याण सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधन सहयोग सहभागिता सहकारी समिति मर्या., सिवनी	970	1730/16-8-2022
16	दलित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी	972	1732/16-8-2022
17	सतपुड़ा जैविक खाद उत्पादन सहकारी समिति मर्या., सिवनी	975	1735/16-8-2022
18	शक्ति चलित बुनकर सहकारी समिति मर्या., सिवनी	279	2133/17-12-2019
19	कुम्हार उद्योग सहकारी समिति मर्या., भौमा	130	2132/17-12-2019

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः, मैं, श्रीमती शिवानी ताराम, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी-ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी-व्यक्ति सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1931)

शिवानी ताराम, परिसमापक एवं वरि.सह.निरी.

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू— जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70-1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजी. क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या., दोदीवाड़ा	353	722/5-4-2022
2	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजयपानी	806	722/5-4-2022
3	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरिया	785	722/5-4-2022
4	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुआर	833	722/5-4-2022
5	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टिकारी	306	722/5-4-2022
6	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साल्हेखुर्द	431	722/5-4-2022
7	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., प्रेमपुर अमूलरा	688	722/5-4-2022
8	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजयपानी	832	722/5-4-2022
9	महात्मा फुले साख सब्जी फल उत्पा. बरघाट	766	722/5-4-2022
10	आदि. कांगोराजा खनिज उद्योग सह. समिति मर्या., गुरजई	791	722/5-4-2022
11	किसान बीज उत्पादक सहकारी मर्या., बोरीकलां	1070	1622/8-8-2022
12	नवीन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोसगी	1071	1623/8-8-2022
13	नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दुल्हापुर	1074	1625/8-8-2022
14	आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जनमखारी	1082	1632/8-8-2022
15	ओम साई बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केसला	1089	1669/8-8-2022
16	जागृति लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जेवनारा	992	1654/8-8-2022
17	प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जनमखारी	993	1655/8-8-2022
18	प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खूंटपिपरिया	996	1657/8-8-2022
19	ग्राम विकास लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगांव	999	1659/8-8-2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः, मैं, आकाश अहके, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी-ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय, उपायुक्त, सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति-सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1932)

आकाश अहके, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](#) से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2024—भाद्र 15, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

(कुछ नहीं)